<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद</u>।

दिनांकः **02.07.2025**

पत्रावली पेश हुई। प्रत्येक द्वारा की गयी जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा 144/145/147 रेल अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500/–रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 10 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।